

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(email- secraj@rajasthan.gov.in, PH. 0141-2227280, 2227407)

क्रमांक:एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/2024/ 7664

दिनांक: 03.09.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),
(नगरपालिका) (जिला-अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा को छोड़कर)
राजस्थान।

विषय: नगर पालिका निर्वाचन 2026 में एमपीएमवी ईवीएम मशीनों में सहायक मतदान
केन्द्र के कोड स्थापित करने के संबंध में।

संदर्भ: आयोग का पत्रांक 2184 दिनांक 26.02.2026 एवं 5688 दिनांक 08.08.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित पत्र के माध्यम से नगरीय निकायों के आम चुनाव में मध्यप्रदेश की एमपीएमवी मशीने मतदान हेतु राज्य के 36 जिलों में कार्य में ली जा रही हैं। एमपीएमवी मशीनों में अंग्रेजी शब्दावली (A,B....) इन्द्राज करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः कमिशनिंग के दौरान इन मशीनों में सहायक मतदान केन्द्र कोड स्थापित करते समय बूथ संख्या के साथ में A के स्थान पर 01 एवं B के स्थान पर 02 इन्द्राज करते हुए मशीनों को तैयार किया जावे। ई-सूची पोर्टल में मतदान केन्द्र कोड पूर्व की भांति ही रहेंगे।

उदाहरण:- यदि किसी वार्ड में 13-A, 13-B बूथ हैं तो मशीन में बूथ संख्या 13-A के स्थान पर 1301 कोड इन्द्राज करें एवं 13-B के स्थान पर 1302 कोड इन्द्राज करेंगे। तथा ई-सूची में बूथ संख्या 13-A, 13-B ही रहेंगे।

साथ ही आरक्षित मशीनों को तैयार करते समय वार्ड नं. तो निर्धारित है लेकिन बूथ नं. तय नहीं है तो ऐसी स्थिति में आरक्षित मशीनों पर A के स्थान पर 01 लगाते हुए प्रथम आरक्षित मशीन पर बूथ नं. A01 के स्थान पर 0101, द्वितीय आरक्षित मशीन पर बूथ नं. A02 के स्थान पर 0102, एवं तृतीय आरक्षित मशीन पर बूथ नं. A03 के स्थान पर 0103 इन्द्राज करेंगे।

इस संबंध में जिले के समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को भी अवगत करावें।


(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/2024/ 7665-71
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक: 03/9/2026

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)(कलक्टर)।
6. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।
7. एनालिस्ट कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।


सहा.सचिव